

# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:- रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्या:-48/2025/225 आर.टी.एक्ट (2025/48)

1. गौरीशंकर पुत्र नारायण लाल गुर्जर
  2. शिवराज पुत्र नारायण लाल गुर्जर
  3. किशनलाल पुत्र भैरु गुर्जर
  4. अक्षय कुमार पुत्र सत्यनारायण जोशी
  5. ओमप्रकाश पुत्र लालाराम गुर्जर
  6. अमरचंद पुत्र पांचूलाल गुर्जर
  7. हरिलाल पुत्र हीरालाल गुर्जर
  8. महेन्द्र पुत्र मिश्रीलाल जाति जाट
- समस्त निवासीगण ग्राम बाडी तहसील बिजयनगर जिला ब्यावर।

अपीलांट्स

## बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र महावीर प्रसाद जाति नाई निवासी बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला ब्यावर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला ब्यावर।
3. अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग बिजयनगर जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार नगरपालिका बिजयनगर जरिए अधिशाषी अभियन्ता बिजयनगर जिला ब्यावर।
5. ग्राम पंचायत बाडी जरिए सरपंच ग्राम पंचायत बाडी तहसील बिजयनगर जिला ब्यावर।

रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध आदेश दिनांक 08.01.2025 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला ब्यावर राजस्व वाद संख्या 132/2024

## उपस्थित:-

1. श्री वैभव पारीक अभिभाषक अपीलांट
2. श्री एन0एस0 राजावत अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री सुनील पारीक अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 4
4. श्री विकास पराशर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2
5. रेस्पोडेंट संख्या 3 व 5 अनुपस्थित

## निर्णय

दिनांक:-20.05.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 132/2024 में पारित आदेश दिनांक 08.01.2025 के विरुद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला ब्यावर के यहां पर रेस्पोडेंट संख्या 1 ने रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 5 के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 प्रस्तुत किया जिसमें अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत किया जो दिनांक 8.01.2025 को खारिज किया गया एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 स्वीकार किए जाने

का आदेश प्रदान किया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 132/2024 में पारित आदेश दिनांक 08.01.2025 से असंतुष्ट होकर अपीलांत ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा की गई बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोंडेंट संख्या 3 व 5 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांत ने दौराने बहस अपील में निवेदन किया अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार पर एवं बिना किसी कारण के अपीलांतस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करके एवं रेस्पोंडेंट संख्या 1 के प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 को स्वीकार करके त्रुटि की है जबकि अपीलांतस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य था एवं रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 निरस्त किए जाने योग्य था। ग्राम बाडी के खसरा नम्बर 2784/278, 2783/278, 2782/278, 2785/278 के खातेदार मुकेश, ललित, सत्यनारायण व राजेन्द्र पिता महावीर प्रसाद के द्वारा अपने पिता की जायदाद का बंटवारा कर अपने-अपने हिस्से के सामने रास्ता लेने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा खातेदारान मुकेश, ललित सत्यनारायण व राजेन्द्र द्वारा ग्राम पंचायत बाडी की आबादी भूमि व नगरपालिका बिजयनगर की भूमि में से होते हुए रास्ता बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया जो कि खातेदारान मुकेश, ललित, सत्यनारायण व राजेन्द्र की भूमि के लगते हुए करी 30 फीट चौड़ा रास्ता खसरा नम्बर 2026/276 का रास्ता राजस्व रिकार्ड व मौके पर स्थित है और उक्त रास्ता नेशनल हाईवे-79 से लगता हुआ खातेदारान मुकेश, ललित, सत्यनारायण व राजेन्द्र की भूमि के सटते हुए रास्ता है तथा ग्राम पंचायत बाडी की आबादी भूमि खसरा नम्बर 2024/275 में अपीलांतस का काफी वर्षों से कब्जा होकर अपीलांतस का सामान पडा है और चारो तरफ तारबंदी व थोर की बाड हो रखी है और शेष आबादी भूमि में से चार रास्ते मसूदा रोड पर से मिलते हुए खातेदारान मुकेश, ललित, सत्यनारायण व राजेन्द्र के खेत के रास्ते से मिल रहे हैं और खातेदारान की आराजी में जाने हेतु रिकार्ड एवं मौके पर रास्ता है लेकिन फिर भी रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 बिना किसी आधार पर एवं किसी कारण के मनगढंत तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में रास्ते बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 को किसी भी प्रकार से रास्ता प्रदान नहीं जा सकता है इसलिए अपीलांतस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किये जाने योग्य था एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251 ए खारिज किये जाने योग्य था। इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आदेश प्रदान करके भारी सैद्धान्तिक भूल की है।

रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 को भली-भांती जानकारी थी कि विवादित भूमि पर अपीलांतस का कब्जा चला आ रहा है फिर भी उन्होंने अपीलांतस को पक्षकार नहीं बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में अपीलांतस को पक्षकार बनाया जाकर उनको सुना जाना अत्यधिक आवश्यक है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 पर बहस सुनी थी जिसको बिना कोई कारण दिये खारिज किये जाने का विवादित आदेश प्रदान किया है जो पूर्णतया अवैधानिक है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांतस के प्रार्थना पत्र को खारिज कर उसी दिन रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार कर लिया जबकि प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर अधीनस्थ न्यायालय कोई आदेश या आज्ञा पारित नहीं कर सकती थी क्योंकि उस दिन तो अपीलांतस द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पर बहस सुनी थी इसलिए अपीलांतस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार योग्य है एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251 ए खारिज योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय को आबादी भूमि में से रास्ता देने का क्षेत्राधिकार नहीं है फिर भी रेस्पोजेन्ट संख्या 1 द्वारा विवादित आबादी भूमि में से रास्ता लेने बाबत अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया ऐसी स्थिति में अपीलांट को उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार बतौर रेस्पोजेन्टस बनाया जाना न्यायोचित है जिससे अधीनस्थ न्यायालय को वास्तविक तथ्य रिकार्ड में लाने में सुविधा होगी एवं संबंधित पक्षकारों के मध्य विवाद निस्तारण में सहायता होगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोजेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर किसी भी प्रकार की कोई जांच नहीं की और न ही कानूनी प्रावधानों के तहत कोई मौका रिपोर्ट प्राप्त की जबकि कानूनी प्रावधानों के अनुसार सभी कानूनी प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए था। अतः अपील सव्यय स्वीकार फरमायी जावे एवं निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा दिनांक 08.01.2025 निरस्त फरमाये जाने की आज्ञा प्रदान की जाये एवं अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार फरमाये जाने तथा रेस्पोजेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निरस्त फरमाये जाने की आज्ञा प्रदान की जाये, अन्य कोई न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे, अपीलांटस को प्रदान की जावें।

5. अभिभाषक रेस्पोजेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस निवेदन किया कि मौजा बाडी पटवार हल्का बाडी तहसील बिजयनगर में खसरा नम्बर 2785/278 भूमि स्थित है जो कि प्रार्थी के कब्जे काश्त उपयोग में चली आ रही है, तथा प्रार्थी का नाम खातेदारी में दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि में आने जाने का एकमात्र रास्ता सदियों से खसरा नम्बर 2024/275, 2021/272, 2023/276, 1983/272, 2026/276 से चला आ रहा है तथा प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु उक्त सरकारी भूमियों में से 30 फिट चौड़ा रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया गया था प्रार्थी अपने रास्ते के रूप में दी जाने वाली भूमि की राजकीय दर डीएलसी भुगतान हेतु तैयार है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में सभी आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार मुर्तिब कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से स्वीकार कर प्रार्थी को रास्ते दिये जाने बाबत आदेश पारित किये गये हैं क्योंकि प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार बिजयनगर की रिपोर्ट में भी स्पष्टतया अंकन है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमियों में आने जाने का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलांट द्वारा यह भी उज्र गलत अंकित किये गये हैं कि रास्ता आबादी भूमि में से दिया गया है जबकि ग्राम पंचायत ने स्वयं अपने जवाब में अंकित किया है कि राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 2024/275 का सम्पूर्ण रकबा सहवन से ग्राम पंचायत बाडी के नाम से दर्ज कर दिया तथा ग्राम पंचायत बाडी को आबादी विस्तार हेतु करबा 04-6-00 भूमि ही दी गई। शेष रकबा बिलानाम सरकार सिवायचक ही है। जिससे उत्तरदाता अप्रार्थी संख्या 4 का कोई संबंध सरोकार नहीं है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु प्रार्थी जिन खसरान में से जहां से रास्ता प्राप्त करना चाह रहा है वहां पर अप्रार्थी संख्या 4 ग्राम पंचायत बाडी की आबादी भूमि स्थित नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलांटस मात्र मौखिक कथन कर रहा है कि उसका विवादित आराजीयात पर कब्जा है जबकि ऐसा कोई दस्तावेज न तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया ना ही अपीलीय न्यायालय में पेश किया है। तहसीलदार बिजयनगर की मौका रिपोर्ट में भी अपीलांटस के कब्जे बाबत कोई अंकन नहीं है अपीलांटस के हक अधिकार किस प्रकार प्रभावित हो रहे हैं अपीलांटस द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी उभयपक्ष को विधिवत रूप से सुना जाकर दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में खारिज किया है जो पूर्णतया विधिसम्मत है साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए में प्रार्थी को जो रास्ता स्वीकृत किया है वह पूर्णतया विधिक एवं प्रावधानों के अनुरूप दिया गया है ऐसी स्थिति में अपील

अपीलांटस मय खर्चे के खारिज की जावें। अभिभाषक रेस्पोंडेंट द्वारा अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2025(2) आरआरटी पेज 1269, 2024 आरबीजे 653, 2024(2) आरआरडी पेज 1072, आरबीजे 2019 पेज 147, डीएनजे (रेव0) 2021, पेज 1412, 2024(1) डीएनजे पेज 256, 2023(4) डीएनजे पेज 1581, 2024 (2) डीएनजे पेज 1375, 2024 (1) डीएनजे, 2024 (2) डीएनजे रेवे0 पेज 1350, 2021 (1) आरआरटी पेज 246, 2022 (2) आआरटी पेज 830, एआईआर 2020 एस0सी पेज 4038, एआईआर 2025 एस0सी 924, आरआरडी पेज 93 पेज 232, आरआरएफ 93 पेज नम्बर 44, आरबीजे (23) 2016 पेज 335 प्रस्तुत किए हैं।

6. अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 04 ने दौराने जवाब/बहस निवेदन किया कि प्रकरण में राजस्व ग्राम बाडी के खसरा नम्बर 2023/275 रकबा 0.6391 हैक्टेयर में रास्ते की भूमि नियमानुसार दी जाती है तो पालिका को कोई आपत्ति नहीं है।
7. हमने अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा अपील पर की गई बहस पर मनन किया। अपील तथा अधीनस्थ न्यायालय का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष दिनांक 01.10.2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया, जिसे दिनांक 01.10.2024 को दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.12.2024 को गौरिशंकर, शिवराज, किशनलाल, अक्षय कुमार, ओमप्रकाश, अमरचंद, हरिलाल, महेन्द्र की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा0दी0 मय वकालतनामा पेश किया। दिनांक 20.12.2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी पर उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर दिनांक 08.01.2025 को अपीलांट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए रेस्पोंडेन्ट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए स्वीकार किया गया। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की है।

हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया था जिसे अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनने के उपरांत दिनांक 08.01.2025 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने पर न्यायालय हाजा के समक्ष रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के अभिभाषक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत पेश नहीं किया गया है तथा आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी खारिज किये जाने एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए स्वीकार किये जाने के विरुद्ध एक ही अपील पेश की है जबकि कानूनन अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई पृथक-पृथक कार्यवाहियों के विरुद्ध पृथक-पृथक कार्यवाही किया जाना चाहिए था। रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति को खारिज करते हुए दिनांक 17.01.2025 को प्रथम दृष्टया न्यायिक निर्णय के उद्देश्य से अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई थी।

अपीलांटस द्वारा कथन किया गया कि खसरा संख्या 2024/275 में अपीलांटस का काफी वर्षों से कब्जा होकर अपीलांटस का सामान पडा है और चारो तरफ तारबंदी व थोर की बाड हो रखी है। किन्तु ऐसा कोई दस्तावेज न तो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष कब्जे बाबत कोई राजस्व दस्तावेज या अन्य दस्तावेज पेश किया। अपील में किये गये कथनों को दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा भी साबित करना आवश्यक है केवल मौखिक कथनों के आधार पर कब्जा मानना न्यायोचित नहीं है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार बिजयनगर की मौका रिपोर्ट में भी खसरा संख्या 2024/275 में अपीलांटस के कब्जे, तारबंदी या थोर की मेड बाबत कोई अंकन नहीं है। अपीलांट उक्त वादग्रस्त भूमि पर दिये गये रास्ते से किस प्रकार पीडित है ऐसा भी कोई दस्तावेज न तो

अपील के साथ पेश किया गया है ना ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपटित धारा 151 जा0दी0 में उन्ही को पक्षकार मुर्तिब किया जाता है जो यह साबित कर दे की वे प्रकरण में हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार है, जो अपीलांट द्वारा न तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष और ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष साबित किया है।

प्रकरण के गुणावगुण पर अवलोकन किये जाने से हमने पाया कि 2785/278 की भूमि रेस्पोजेन्ट/प्रार्थी की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। जिस पर आवागमन प्रार्थी ने खसरा संख्या 1983/272, 2023/275, 2026/276 से किया जाना बताया है इस संबंध में हमने आई0एल0आर0 एवं पटवार हल्का द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया जिसमें स्पष्टतया अंकन है कि **प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर आवागमन हेतु मौके पर कोई रास्ता नहीं है** अर्थात् प्रार्थी को रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त मौका रिपोर्ट में यह भी अंकित है कि आवेदित भूमि से लगता हुआ खसरा नम्बर 2026/276 रकबा 0.3883 हैक्टर सिवायचक खाते में दर्ज है जिसके पूर्वी हिस्से पर ग्राम पंचायत बाडी द्वारा आवासीय कॉलोनी काटे जाने से मौके पर प्लॉट स्थित है अर्थात् उक्त भूमि में से प्रार्थी को रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी का आवागमन खसरा संख्या 1983/272, 2023/275, 2026/276 में से होना बताया है ऐसी स्थिति में मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है तथा इसी आत्यंतिक आवश्यकता को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में रास्ते स्वीकृत किये जाने का मुख्य घटक माना है। प्रार्थी के पास वैकल्पिक मार्ग का अभाव है। खसरा संख्या 2023/275 नगरपालिका, बिजयनगर के नाम दर्ज है नगरपालिका, बिजयनगर द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी रास्ता स्वीकृत किये जाने बाबत किसी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं की है। अप्रार्थी संख्या 04 ग्राम पंचायत ने स्वयं अपने जवाब में अंकित किया है कि राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 2024/275 का सम्पूर्ण रकबा सहवन से ग्राम पंचायत बाडी के नाम से दर्ज कर दिया तथा ग्राम पंचायत बाडी को आबादी विस्तार हेतु रकबा 04-6-00 भूमि ही दी गई। शेष रकबा बिलानाम सरकार सिवायचक ही है। जिससे उत्तरदाता अप्रार्थी संख्या 4 का कोई संबंध सरोकार नहीं है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु प्रार्थी जिन खसरान में से जहां से रास्ता प्राप्त करना चाह रहा है वहां पर अप्रार्थी संख्या 4 ग्राम पंचायत बाडी की आबादी भूमि स्थित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि दिया गया रास्ता आबादी भूमि में से नहीं दिया गया।

अपीलांट ने हाजा न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान में निगरानी संख्या 8923/2025 प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा उक्त निगरानी को दिनांक 09.03.2026 को विधिक बल नहीं होने से खारिज किया गया।

रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने हाजा न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.01.2025 के विरुद्ध माननीय मण्डल के समक्ष निगरानी संख्या 575/2025 प्रस्तुत की गई। माननीय मण्डल द्वारा उक्त निगरानी पर उभयपक्षों की बहस सुनते हुए दिनांक 09.03.2026 को खारिज कर प्रकरण में उभयपक्षों को सुनकर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय मण्डल द्वारा पारित निर्देशों के क्रम में हाजा न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण पर किया जा रहा है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के सरकारी नियम 69 की पालना करते हुए पटवारी हल्का एवं भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गयी। उक्त मौका रिपोर्ट, नगरपालिका एवं ग्राम पंचायत बाडी के जवाब तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में प्रावधित घटक अनुसार ही नवीन रास्ता स्वीकृत किया है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रक्रियात्मक, विधिक अथवा न्यायिक त्रुटि कारित नहीं की है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है।

8. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर मसदू द्वारा प्रकरण संख्या 132/2024 में पारित आदेश दिनांक 08.01.2025 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)  
राजस्व अपील प्राधिकारी,  
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 20.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)  
राजस्व अपील प्राधिकारी,  
अजमेर